

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा अगस्त २०२० माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित नोटिस प्रकाशित किए हैं:

- दिल्ली पुलिस परीक्षा-2020 में कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष और महिला के लिए आवेदन आमंत्रित करना।
- संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (10+2) परीक्षा (सीएचएसएलई) 2018 के टियर-II के उन 4560 उम्मीदवारों को एक बार छूट देना जिन्हें यूएफएम के कारण अस्वीकृत घोषित किया गया था।
- सीएपीएफ, एनआईए और एसएसएफ में कांस्टेबल (जीडी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी), परीक्षा, 2018 के उन उम्मीदवारों के संबंध में विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) का आयोजन फिर से शुरू करना। कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण इस डीएमई को बीच में ही रोकना पड़ा था।
- दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उपनिरीक्षक तथा सीआईएसएफ में सहायक उप-निरीक्षक, परीक्षा, 2018 के उम्मीदवारों को समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) के लिए अपील करने की अनुमति देना जिन्हें मार्च, 2020 में आयोजित विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के दौरान चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी स्थिति की वजह से हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण उनकी अस्वीकृति के बाद निर्धारित 15 दिनों की अवधि के भीतर वे समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) के लिए अपील नहीं कर सके थे।

इसके साथ ही आयोग ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तर परीक्षा, 2018 के टियर-II का परिणाम भी घोषित कर दिया है।

2. सिविल सेवा परीक्षा 2019 के शीर्ष 20 उम्मीदवारों को सम्मानित करने का कार्यक्रम माननीय राज्यमंत्री (पीपी) डॉ जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से दिनांक 25.08.2020 को ऑनलाइन रूप से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सभी शीर्ष 20 उम्मीदवारों और इस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उम्मीदवारों को "प्रशंसा पत्र" से सम्मानित किया गया है।
3. वर्ष 2021 के दौरान केंद्र सरकार के कार्यालयों में मनाए जाने वाले अवकाश के संबंध में शुद्धिपत्र दिनांक 14.08.2020 के का.ज्ञा. 12/9/2020-जेसीए के तहत जारी किया गया है।

4. दिनांक 21.08.2020 की अधिसूचना संख्या 39019/05/2018-स्था. (ख) के तहत प्रो. (डॉ) प्रदीप कुमार जोशी को दिनांक 07.08.2020 से संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
 5. मूल नियम (एफआर) 56 (जे)/(I) और सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के लिए नियम 48 के अधीन प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आवधिक समीक्षा के लिए अभ्यावेदन समिति का पुनर्गठन किया गया है।
 6. नियम एफआर 22 (1) (क) (1) के अधीन विभाजन के विकल्प का लाभ एकबारगी छूट के रूप में तदर्थ आधार पर पद धारण करने वाले सभी सेवारत सीएसएस अधिकारियों को दिया गया है।
 7. सीजीएलई 2017 के सीधी भर्ती वाले सहायक अनुभाग अधिकारियों के पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई।
 8. अगस्त, 2020 माह के दौरान सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) में 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 01 वेबिनार आयोजित किए गए थे। इसमें लेवल-II, एल-III और एल-बी कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या 308 थी।
- II. उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित अनुदेश/दिशा-निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए गए थे:-
1. दिनांक 19.08.2020 के का.ज्ञा.सं. 21011/04/2020-स्था. (क-II) के तहत भारत सरकार में पार्श्विक भर्ती आधार पर संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त अधिकारियों के संबंध में वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट।
 2. दिनांक 28.08.2020 के आदेश के तहत अधीनस्थ पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित कराने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) का गठन।
 3. दिनांक 13.08.2020 के का.ज्ञा. सं. 5/2/2012-स्था. (वेतन-I) /(खंड.II) के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, स्वायत्तशासी निकायों आदि के उम्मीदवारों के सीधी भर्ती के आधार पर केंद्र सरकार के पदों पर उनकी नियुक्ति पर वेतन-सुरक्षा।
 4. दिनांक 05.08.2020 का.ज्ञा.सं.11012/03/2020-स्था.क-III के तहत कोविड-19 महामारी के कारण वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनुशासनिक कार्यवाही पूरी करना।